



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125405

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 12963 वर्ष 2026

रणजीत बिंद

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : रमेश कुमार यादव

विपक्षी के अधिवक्ता : धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार यादव, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.एस. चौहान को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 532 वर्ष 2025, धारा 70 (2), 238, 103 (1), 66 भारतीय न्याय संहिता तथा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5जी/6, 5(जे)(iv)/6, थाना अलीनगर, जिला चंदौली के अंतर्गत विचारण के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आदेश दिनांक 21.05.2026 के अनुपालन में, फील्ड यूनिट, जिला चंदौली के प्रभारी, उप-निरीक्षक श्री महफूज खान इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को स्पष्ट किया। न्यायालय उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट है, लेकिन उन्हें सलाह देता है कि भविष्य में परीक्षण के परिणाम का स्पष्ट उल्लेख करें।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, 28.10.2025 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आरोप के साथ दर्ज कराई गई थी कि प्रथम सूचनाकर्ता की छह वर्षीय पुत्री रात 9:00 बजे अपने बड़े पिता के घर से अपने घर के लिए निकली थी, लेकिन वह अपने घर नहीं पहुंची। तब परिवार के सदस्यों ने उसे खोजना शुरू किया और मृतक का शव जगदीश के पुआल कक्ष (स्ट्रॉ रूम) में पाया। उसके निजी अंगों पर रक्त भी पाया गया। तत्पश्चात, आवेदक को सह-अभियुक्त के साथ गिरफ्तार किया गया और फील्ड यूनिट द्वारा उसका 'नाले' का नमूना (स्वैब) लिया गया, जो 'सकारात्मक' पाया गया। यह भी तर्क दिया गया कि मृतक के बाएं हाथ पर पाया गया लाल रंग आवेदक की हूडी पर भी पाया गया; इसके बाद मृतक का योनि स्वैब और गुदा स्वैब, कपड़े, रक्त का नमूना तथा आवेदक और सह-अभियुक्त का रक्त रंजित कपड़ा, लिंग स्वैब भी एफ.एस.एल. के लिए भेजा गया। एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के गुदा स्वैब के साथ-साथ उसकी जांघों और अंतर्वस्त्रों पर पुरुष वीर्य पाया गया था, लेकिन अपर्याप्त सामान्य डी.एन.ए. प्रोफाइल के कारण उनके स्रोत का पता नहीं लगाया जा सका।
5. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, यहां तक कि अंतिम बार देखे जाने (लास्ट सीन) का भी कोई गवाह नहीं था। आवेदक के विरुद्ध कोई दोषमढ़ने वाली सामग्री नहीं है। आवेदक ने दो मामलों के आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण दिया है। आवेदक 31.10.2025 से जेल में निरुद्ध है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।
6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि गवाह जगदीश बिंद और मृतक की माता निशा ने आवेदक को जगदीश के पुआल कक्ष से छिपकर बाहर आते देखा था और उसके बाद वह भाग गया। निशा द्वारा यह भी बताया गया कि सह-अभियुक्त लखराज भी जगदीश के पुआल कक्ष के पास सड़क पर खड़ा था। यह भी तर्क दिया गया कि एफ.एस.एल. रिपोर्ट दर्शाती है कि छह वर्षीय बालिका के साथ पाशविक ढंग से योनि और गुदा मैथुन किया गया था, और तत्पश्चात गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। फील्ड यूनिट की रिपोर्ट स्वयं

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दर्शाती है कि आवेदक के 'नाले' स्वेब में रक्त था, इसलिए आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

7. उपरोक्त दलीलों पर विचार करते हुए, गवाहों निशा और जगदीश के इस बयान को ध्यान में रखते हुए कि घटना के तुरंत बाद, आवेदक को जगदीश के पुआल कक्ष से बाहर आते देखा गया था, जहां से मृतक का शव बरामद हुआ था, गुदा परीक्षण रिपोर्ट में पुरुष वीर्य की उपस्थिति के साथ-साथ आवेदक की हूडी और दाहिने हाथ पर लाल रंग का पाया जाना, जो उसी रंग का था जो मृतक के बाएं हाथ पर पाया गया था, और अपराध की वीभत्स प्रकृति को देखते हुए, यह न्यायालय आवेदक को जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं है।
8. तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।
9. फील्ड यूनिट, जिला चंदौली के प्रभारी, उप-निरीक्षक श्री महफूज खान की व्यक्तिगत उपस्थिति को, इस न्यायालय के अगले आदेश तक छूट दी जाती है।

**4 जून, 2026**

सी.एस./-

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।